गुमाश्ता लाइसेंस के लिए मात्र 20 रुपए में एमपी ऑनलाइन पर होगा पंजीयन

विभाग द्वारा कार्याशाला का आयोजन भी किया जाएगा

● इंदौर।

श्रम विभाग द्वारा *गुमाश्ता लाइसेंस बनाए जाते हैं,* जिसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। दुकान और स्थापना के ये पंजीयन और इनके नवीनीकरण का काम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिए मात्र 20 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इंदौर में अभी तक 50 हजार से ज्यादा गुमाश्ता लाइसेंस ऑनलाइन बना दिए गए हैं।

कुछ समय पहले गुमाश्ता लाइसेंस बनाने का काम भी नगर निगम को सौंप दिया गया था, जिसे फिर श्रम विभाग को दिया गया है। नगर निगम द्वारा व्यापारिक लाइसेंस जरूर बनाए जाते हैं, मगर श्रम विभाग का गुमाश्ता लाइसेंस भी हर छोटे-बड़े कारोबारी को लेना जरूरी है।

दुकान एवं स्थापना के पंजीयन और उसके नवीनीकरण का काम अब श्रम विभाग ने 100 प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया है। सहायक श्रमायुक्त जेएस उद्दे के मुताबिक अगर किसी व्यवसायी को पंजीयन कराना है और उसके पास कोई कर्मचारी नहीं है तो मात्र 100 रुपए शुल्क लगेगा और 5 साल के लिए लाइसेंस वैध रहेगा। उसके नवीनीकरण के लिए कैलेंडर शुल्क 10 रुपए और 28 फरवरी के पश्चात समझौता शुल्क 100 रुपए, इस तरह कुल 210 रुपए का शुल्क ही लगेगा। इसके अतिरिक्त कोई और राशि नहीं देना पड़ेगी। श्री उद्दे.से सभी व्यवसायियों से अनुरोध किया कि वे किसी भी तरह के बिचौलियों से सावधान रहें और अधिक राशि वसूल करने वाले या गुमराह करने वालों के नाम-पते श्रम कार्यालय को सौंपे जाएं। श्रम विभाग और एमपी ऑनलाइन के बीच बाकायदा अनुबंध हुआ है, जिसके चलते ऑनलाइन आवेदन करवाने पर शुल्क मात्र 20 रुपए निर्धारित किया गया है। हालांकि ज्यादातर एमपी ऑनलाइन कियोस्क चलाने वाले इससे अधिक शुल्क लेते हैं और उनके ऑपरेटरों को सही तरीके से ऑनलाइन फार्म भरना भी नहीं आता है। अब इसके लिए विभाग एक कार्यशाला भी आयोजित करने जा रहा है। ऑनलाइन पंजीयन और नवीनीकरण के आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति में काली स्याही को छोड़कर अन्य स्याही में हस्ताक्षर कर स्कैन करने के पश्चात ऑनलाइन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। दस्तावेजों को न तो डाक से भेजना है और न ही व्यक्तिगत उपस्थित होकर देना है। ऑनलाइन के पश्चात हर स्तर पर किए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आता रहेगा और अंतिम मैसेज, जिसमें डाउनलोड के जरिए सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है।